

# अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय,

उ०प्र०, लखनऊ,

संख्या: 140/कार्य परिषद/स्थापना/2020

दिनांक: 21 अक्टूबर, 2020

## कार्यालय ज्ञाप

अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-42 सन् 2018) की धारा-20 की उपधारा (1) के अधीन एतद्वारा निम्नलिखित सदस्यों से अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ की कार्य परिषद का गठन किया जाता है:-

- |   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| 1. कुलपति, जो उसके अध्यक्ष होंगे ;  | -पदेन-                  | अधिनियम की धारा-20(1) के खण्ड (a) के अधीन |
| 2. प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग अथवा उनका नाम निर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो ; | -पदेन-                  | खण्ड (c) के अधीन                          |
| 3. प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग अथवा उनका नाम निर्देशिती, जो विशेष सचिव श्रेणी से नीचे का न हो ;              | -पदेन-                  | खण्ड (d) के अधीन                          |
| 4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश ;   | -पदेन-                  | खण्ड (f) के अधीन                          |
| 5. निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अथवा उनका नाम निर्देशिती, जो आचार्य की श्रेणी से नीचे का न हो ;            | -पदेन-                  | खण्ड (g) के अधीन                          |
| 6. कुलपति, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ;   | -पदेन-                  | खण्ड (h) के अधीन                          |
| 7. निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ ;  | -पदेन-                  | खण्ड (i) के अधीन                          |
| 8. निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ ;  | -पदेन-                  | खण्ड (j) के अधीन                          |
| 9. डॉ० विजय कुमार, प्राचार्य<br>राजर्षि दशरथ राज्य चिकित्सा<br>महाविद्यालय, अयोध्या, उ०प्र०                                       | कुलपति द्वारा निर्दिष्ट | खण्ड (l) के अधीन                          |

10. (i) डा0 सोनिया नित्यानंद,  
विभागाध्यक्ष, हेमेटोलॉजी विभाग,  
एस.जी.पी.जी.आई. लखनऊ।  
(ii) प्रो0/श्री/डा0 प्रो0 एस0एन0 कुरील,  
विभागाध्यक्ष पीडियाट्रिक्स, सर्जरी,  
के.जी.एम.यू., लखनऊ।

मा0 कुलाधिपति द्वारा खण्ड (n) के अधीन  
नाम निर्दिष्ट किये जाने  
पर


  
(प्रो0 डॉ0 ए0के0 सिंह)  
कुलपति

संख्या: 140/कार्यपरिषद / स्थापना - 2020

तद्दिनांकित: 21.10.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त माननीय सदस्यगण।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 राज्यपाल जी।
3. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. समिति अनुभाग (स्थापित होने पर)।
5. गार्ड फाइल/नोटिस बोर्ड।

  
21.10.  
रजिस्ट्रार



# अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ०प्र० Atal Bihari Vajpayee Medical University, Lucknow, U.P.

दिनांक: 28 दिसम्बर, 2020

संख्या: 269/05/अ०बि०वा०चि०वि०/2020

## कार्यालय ज्ञाप


अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-42 सन् 2018) की धारा-20 (k), 20 (2) एवं (3) के अधीन कार्य परिषद की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त के पटल पर प्रस्तुत कार्यसूची संख्या-2 पर लिए गये निर्णय के अनुसार कार्यालय ज्ञाप जारी किये जाने की तिथि से तीन वर्ष के लिए निम्न सदस्यों को कार्य परिषद का सदस्य नामित किया जाता है:-

1. डा० सुरेश चन्द्रा, प्राचार्य (अवकाश प्राप्त), -सदस्य-  
आर०-5, जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज  
कैम्पस, कानपुर-208002।

अधिनियम की धारा-20  
(च), 20 (2) एवं (3) के  
अधीन

2. डा० रमेश चन्द्रा, प्राचार्य (अवकाश प्राप्त),  
ए-15, निराला नगर, लखनऊ। -सदस्य-

अधिनियम की धारा-20  
(च), 20 (2) एवं (3) के  
अधीन


  
(प्रो० ए० के० सिंह)  
कुलपति

संख्या: /

तद्दिनांकित:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त माननीय सदस्यगण।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० राज्यपाल जी।
3. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
4. समिति अनुभाग (स्थापित होने पर)।
5. गार्ड फाइल/नोटिस बोर्ड।

  
रजिस्ट्रार  
28.12.2020



अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ०प्र०  
Atal Bihari Vajpayee Medical University, Lucknow, U.P.

संख्या: ५२९/०५/अ०बि०वा०चि०वि०/२०२०

दिनांक: १९ फरवरी, २०२१

**कार्यालय ज्ञाप**

अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, २०१८ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-४२ सन् २०१८) की धारा-२०(१) (०) में उल्लिखित व्यवस्थान्तर्गत कार्य परिषद में निम्नलिखित सदस्यों के नामांकन हेतु राज्य सरकार की संस्तुति पर मा० कुलाधिपति के अनुमोदनोपरान्त, प्रमुख सचिव, उ० प्र० शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-४ के पत्र संख्या: २१३३/७१-४-२०२०-जी-१३७/२०१८ दिनांक १८ फरवरी, २०२१ के क्रम में कार्यालय ज्ञाप जारी किये जाने की तिथि से तीन वर्ष के लिए सदस्य नामित किया जाता है:-

- डा० हेमन्त शर्मा  
ऑर्थोडॉन्टिक एण्ड प्रॉस्थोडॉन्टिक सेंटर  
बी-३५, डिफेंस कालोनी  
मेरठ-२५०००१  
-सदस्य-  
अधिनियम की धारा-२० (१)  
(०) के अधीन
- डा० महेन्द्र कुमार अग्रवाल  
मैनेजिंग डायरेक्टर एण्ड सीनियर कंशलटेंट  
नांगलिया हास्पिटल, अपोजिट टीडीएम  
नार्मल स्कूल रोड  
गोरखपुर-२७३००१  
-सदस्य-  
अधिनियम की धारा-२० (१)  
(०) के अधीन


(प्र० ए० के० सिंह)  
कुलपति

संख्या: ५२९/०५/अ०बि०वा०चि०वि०/२०२०

तददिनांकित:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल जी।
- प्रमुख सचिव, उ० प्र० शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-४, लखनऊ।
- समस्त माननीय सदस्यगण।
- समिति अनुभाग (स्थापित होने पर)।
- गार्ड फाइल/नोटिस बोर्ड।

  
१९.०२.२०२१  
रजिस्ट्रार